भारतीय रिज़र्व बैंक
लेखा परीक्षा, बजट एवं समन्वय कक्ष
राँची

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

ई-निविदा सं. RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/HRMD/1/25-26/ET/355 [Appt of Concurrent Auditor]

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), राँची (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) **01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026** तक की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत पात्र सीए फर्मों (जैसा कि निविदा दस्तावेज में परिभाषित किया गया है) से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।

सफल निविदाकर्ता एक वर्ष की अवधि, अर्थात 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए लेखा परीक्षकों (सीए) के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। साथ ही सफल निविदाकर्ता की अधिकतम दो और वर्षों, अर्थात 01 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक उसके बाद 01अक्टूबर 2027 से 30 सितंबर 2028 तक, एक बार में एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति, बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यांकन की प्रणाली के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन की जा सकती है। पुनर्नियुक्ति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षको (सीए) का मूल्यांकन उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता, सीए और तैनात अन्य कुशल/अर्ध-कुशल कर्मचारियों की पर्याप्तता, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयबद्धता और बैंक द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य मानकों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन कर किया जाएगा।

निविदा प्रक्रिया को एमएसटीसी लिमिटेड (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

निविदा दस्तावेज को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in के "निविदा" अनुभाग के तहत और वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprocn अर्थात MSTC पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक है। ई-टेंडर के भाग I को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 04:00 बजे खोला जाएगा। किसी भी तारीख को छुट्टी घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए सक्रिय हो जाएगा।

केवल पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत निविदाओं को उक्त प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया जाएगा। यदि निविदाएं उक्त तिथि और समय के बाद प्राप्त होती हैं, तो बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैंक को निविदा को रद्द करने, संशोधित करने और निविदा प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अलावा, बैंक किसी भी निविदा को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन /शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट / ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों को किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट / ई-पोर्टल को नियमित रूप से देखा जाना चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

राँची

निविदा की अनुसूची

नोट: यह एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से एक निविदा पूछताछ है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर उपलब्ध 'निविदा' लिंक के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच करें।आवेदन करने की इच्छुक पात्र फर्म, एमएसटीसी पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर अपना पंजीकरण कराएं और केवल ई-निविदा मोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

क्रम संख्या	**विवरण**	**दिनांक/समय**
1	ई-निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति
2	ई-निविदा संख्या	ई-निविदा सं. **RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/HRMD/1/25-26/ET/355[Appt of Concurrent Auditor]**
3	ई-निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली के माध्यम से)। www.mstcecommerce.com/eprocn **(केवल पात्र ठेकेदारों द्वारा भरा जाना है)**
4	ई-निविदा का अनुमानित मूल्य	₹56,000/- प्रति माह के दर पर 12 महीने के लिए कुल ₹6,72,000/- (सभी लागतों सहित और जीएसटी को छोड़कर)
5	एमएसटीसी वेब पोर्टल पर निविदा - दिनांक, समय देखें	01 अगस्त 2025 (शुक्रवार) अपराह्न 03:00 बजे
6	प्री-बिड मीटिंग	11 अगस्त 2025 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे स्थान – भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, पहली मंजिल, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड-834001
7	बयाना जमा राशि	₹15,859/- (टैक्स के साथ अनुमानित राशि का 2%, केवल एनईएफटी मोड के माध्यम से जमा किया जाना है)

		सभी निविदाकर्ताओं द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य है। एनईएफटी. का विवरण: - लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची लाभार्थी का खाता संख्या: 186003001 आईएफएससी कोड: RBIS0RNPA01 (जिसमें 5वां एवं 10वां अक्षर शून्य है) तकनीकी बोली (बोली का भाग I) के साथ बयाना जमा राशि जमा करने के साक्ष्य के रूप में लेन-देन का विवरण जमा करना होगा।
8	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	₹39,648/- (जिस निविदाकर्ता को अनुबंध दिया गया है, उसके द्वारा अनुबंध अवधि के लिए प्रस्तुत अनुबंध मूल्य का 5% तथा उसके बाद के 60 दिनों के लिए)
9	www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	01 अगस्त 2025 (शुक्रवार) अपराह्न 03:00 बजे
10	ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु समापन की तिथि तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली	25 अगस्त 2025 (सोमवार) अपराह्न 03:00 बजे
11	खोलने की तिथि एवं समय भाग-I (तकनीकी बोली)	25 अगस्त 2025 (सोमवार) अपराह्न 04:00 बजे

12	खोलने की तिथि एवं समय भाग-II वित्तीय बोली	भाग-II (अर्थात वित्तीय बोली) केवल उन्हीं बोलीदाताओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोला जाएगा, जिनकी भाग-I (अर्थात तकनीकी बोली) एबीसीसी, राँची द्वारा स्वीकार्य पायी जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II (अर्थात वित्तीय बोली) खोलने की सूचना उनके द्वारा प्रदान की गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी।
13	लेन-देन शुल्क (नॉन रिफंडेबल)	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेन-देन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/ एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के सलाह के अनुसार करें।
14	संचार के लिए पता	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, पहली मंजिल, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड-834001
नोट: यह नोटिस केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और इस सीमित निविदा में उद्धरण देने के लिए कोई खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और चयनित खरीद इकाई के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक सीमित है। अनचाहे प्रस्तावों को नजरअंदाज किया जा सकता है।		

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी पूर्व-योग्यता पत्र एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बयाना जमा राशि के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

भविष्य में जारी निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखापरीक्षा, बजट एवं समन्वय कक्ष

राँची

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

ई-निविदा सं. RBI/RANCHI REGIONAL OFFICE/HRMD/1/25-26/ET/355

[Appt of Concurrent Auditor]

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), राँची (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा) **01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026** तक की अवधि के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) के तहत पात्र सीए फर्मों (जैसा कि निविदा दस्तावेज में परिभाषित किया गया है) से ई-निविदाएँ आमंत्रित करता है।

सफल निविदाकर्ता एक वर्ष की अवधि, अर्थात 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। साथ ही सफल निविदाकर्ता की अधिकतम दो और वर्षों, अर्थात 01 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक उसके पश्चात 01 अक्टूबर 2027 से 30 सितंबर 2028 तक, एक बार में एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति, बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यांकन की प्रणाली के तहत संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन की जा सकती है। पुनर्नियुक्ति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) का मूल्यांकन उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता, सीए और तैनात अन्य कुशल/अर्ध-कुशल कर्मचारियों की पर्याप्तता, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयबद्धता और बैंक द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य मानकों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन कर किया जाएगा।

निविदा प्रक्रिया को एमएसटीसी लिमिटेड (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। इच्छुक निविदाकर्ताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा।

निविदा दस्तावेज को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट https://www.rbi.org.in के "निविदा"अनुभाग के तहत और वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com/eprocn अर्थात MSTC पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक है। ई-टेंडर के भाग । को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 04:00 बजे खोला जाएगा। किसी भी

तारीख को छुट्टी घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्य दिवस यहाँ उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए सक्रिय हो जाएगा।

केवल पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत निविदाओं को उक्त प्रक्रिया के लिए स्वीकार किया जाएगा। यदि निविदाएँ उक्त तिथि और समय के बाद प्राप्त होती हैं, तो बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बैंक को निविदा को रद्द करने, संशोधित करने और निविदा प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके अलावा, बैंक किसी भी निविदा को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/ शुद्धिपत्र/ स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदकों को किसी भी संशोधन/ शुद्धिपत्र/ स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट/ ई-पोर्टल को नियमित रूप से देखा जाना चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

राँची

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के लेखा परीक्षा एवं बजट समन्वय कक्ष (एबीसीसी) ने इच्छुक पक्षों को उक्त अनुबंध की पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह उचित है, फिर भी न तो बैंक और न ही उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई व्यक्त या गर्भित दावा करते हैं।

इस निविदा का उद्देश्य सभी इच्छुक पक्षों के साथ बैंक की आवश्यकताओं को साझा करना है ताकि वे अपनी बोली प्रस्तुत कर सकें। यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ करनी होगी और लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और यह कि वे ई-निविदा प्रस्तुत करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, अभिकर्ता या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

बैंक अनुबंध को आगे न बढ़ाने, अनुबंध के स्वरूप में परिवर्तन न करने, इस दस्तावेज में दर्शाई गई समय-सीमा में परिवर्तन करने, या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

दस्तावेज में निहित सामग्री की तालिका

क्रम	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1)	ई-निविदा की अनुसूची	05-07
2)	ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	08-11
3)	बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	12-15
4)	निविदा दस्तावेज - अंतर्वस्तु	16
5)	फॉर्म 1	17-20
6)	फॉर्म 2	21
7)	फॉर्म 3	22
8)	फॉर्म 4	23
9)	फॉर्म 5	24
10)	पात्रता मानदंड	25
11)	मूल्यांकन के मानदंड	26
12)	अनुलग्नक-1 : तकनीकी बोली मूल्यांकन मानदंड	27-30
13)	अनुलग्नक-2 : वित्तीय बोली मूल्यांकन मानदंड	31-32
14)	अनुलग्नक-क : घोषणा	33
15)	अनुलग्नक-ख : नियुक्ति संबंधित जानकारी	34-37
16)	अनुलग्नक-ग : नियुक्ति की शर्तें	38-44
17)	अनुलग्नक-घ : बैंक की लेखा परीक्षा करने के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक (सीए) के लिए रूपरेखा।	45-49
18)	अनुलग्नक-ङ : पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेज	50-51
19)	अनुलग्नक-च: कार्य- निष्पादन बैंक गारंटी	52-54

1. निविदा की अनुसूची

नोट: यह एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से एक निविदा पूछताछ है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट https://www.rbi.org.in पर उपलब्ध 'निविदा' लिंक के माध्यम से अपनी पात्रता की जाँच करें। आवेदन करने की इच्छुक पात्र फर्म, एमएसटीसी पोर्टल (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर अपना पंजीकरण कराएँ और केवल ई-निविदा मोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक/ समय
1	ई-निविदा का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची में समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति
2	ई-निविदा संख्या	ई–निविदा सं. **RBI/ RANCHI REGIONAL OFFICE/ HRMD/ 1 /25-26/ET/355 [Appt of Concurrent Auditor]**
3	ई-निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन भाग । - तकनीकी बोली और भाग ॥ - वित्तीय बोली के माध्यम से)। www.mstcecommerce.com/eprocn **(केवल पात्र ठेकेदारों द्वारा भरा जाना है)**
4	ई-निविदा का अनुमानित मूल्य	₹56,000/- प्रति माह के दर पर 12 महीने के लिए कुल ₹6,72,000/- (सभी लागतों सहित और जीएसटी को छोड़कर)
5	एमएसटीसी वेब पोर्टल पर निविदा - दिनांक, समय देखें	01 अगस्त 2025 (शुक्रवार) अपराह्न 03:00 बजे
6	प्री-बिड मीटिंग	11 अगस्त 2025 (सोमवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे स्थान – भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, पहली मंजिल, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड- 834001
7	बयाना जमा राशि	₹15,859/- (टैक्स के साथ अनुमानित राशि का 2%, केवल एनईएफटी मोड के माध्यम से जमा किया जाना है)

		सभी निविदाकर्ताओं द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य है | एनईएफटी . का विवरण: - लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची लाभार्थी का खाता संख्या : 186003001 आईएफएससी कोड: RBIS0RNPA01 (जिसमें 5वां एवं 10वां अक्षर शून्य है) तकनीकी बोली (बोली का भाग I) के साथ बयाना जमा राशि जमा करने के साक्ष्य के रूप में लेन-देन का विवरण जमा करना होगा।
8	कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी	₹39,648/- (जिस निविदाकर्ता को अनुबंध दिया गया है, उसके द्वारा अनुबंध अवधि के लिए प्रस्तुत अनुबंध मूल्य का 5% तथा उसके बाद के 60 दिनों के लिए)
9	www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	01 अगस्त 2025 (शुक्रवार) अपराह्न 03:00 बजे
10	ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु समापन की तिथि तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली	25 अगस्त 2025 (सोमवार) अपराह्न 03:00 बजे
11	खोलने की तिथि एवं समय भाग- I (तकनीकी बोली)	25 अगस्त 2025 (सोमवार) अपराह्न 04:00 बजे
12	खोलने की तिथि एवं समय भाग- II वित्तीय बोली	भाग- II (अर्थात वित्तीय बोली) केवल उन्हीं बोलीदाताओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोला जाएगा, जिनकी भाग- I (अर्थात तकनीकी बोली) एबीसीसी, राँची द्वारा स्वीकार्य पायी जाएगी। ऐसे बोलीदाताओं को भाग- II (अर्थात वित्तीय बोली) खोलने की सूचना उनके द्वारा प्रदान की गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी।
13	लेन-देन शुल्क (नॉन रिफंडेबल)	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेन-देन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे/ एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मेसर्स

<table>
<tr><td></td><td></td><td>एमएसटीसी लिमिटेड के सलाह के अनुसार करें।</td></tr>
<tr><td>14</td><td>संचार के लिए पता</td><td>क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, पहली मंजिल, कचहरी चौक, राँची, झारखण्ड-834001</td></tr>
<tr><td colspan="3">नोट : यह नोटिस केवल सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और इस सीमित निविदा में उद्धरण देने के लिए कोई खुला निमंत्रण नहीं है। इस निविदा में भागीदारी केवल आमंत्रण द्वारा है और चयनित खरीद इकाई के सूचीबद्ध ठेकेदारों तक सीमित है। अनचाहे प्रस्तावों को नजरअंदाज किया जा सकता है।</td></tr>
</table>

आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता रखने के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, बैंक उनकी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। सभी पूर्व-योग्यता पत्र एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बयाना जमा राशि के बिना निविदाएं किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।

बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

भविष्य में जारी निविदा में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

2. ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियम और शर्तें अवश्य पढ़ें।

'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' (भाग-I और भाग-II) केवल *https://www.mstcecommerce.com/eprocn* पर ऑनलाइन जमा की जानी हैं।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाकर्ता का पंजीकरण सम्मिलित है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, निविदाकर्ता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। निविदाकर्ता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। निविदाकर्ता/ओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी)।

1. निविदाकर्ताओं को *www.mstcecommerce.com* पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई लोगो चुनें → निविदाकर्ता के रूप में पंजीकरण करें → विवरण भरें और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएँ→ सबमिट करें।
2. निविदाकर्ताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।
3. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, निविदाकर्ता आरबीआई/एमएसटीसी से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पूर्व) संपर्क कर सकते हैं।

(i) संपर्क विवरण (भारतीय रिज़र्व बैंक):

क) श्री आखण्डल सोरेन, प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची, झारखंड, फोन: 9777491070, ईमेल आईडी: abccranchi@rbi.org.in

ख) श्री धर्मवीर सिंह, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची, झारखंड, फोन: 8850678743, ईमेल आईडी: abccranchi@rbi.org.in

(ii) संपर्क विवरण (एमएसटीसी लिमिटेड):

क) श्री श्रीयांश जैन, ई-मेल आईडी: rncopn2@mstcindia.in, मोबाइल: 7411651015

ख) श्री तन्मय दत्ता, ई-मेल आईडी: rncopn4@mstcindia.in, मोबाइल: 9674487807

B) सिस्टम आवश्यकताएँ:

विस्तृत जानकारी के लिए, वेंडर https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड देख सकते हैं। निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऊपर निर्दिष्ट प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।

निविदाएँ निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएँगी।

C) ई-निविदा की प्रक्रिया:

1. तकनीकी बोली और वित्तीय बोली https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएँ निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएँगी।

2. निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।

3. लेन-देन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:

निविदाकर्ता, निविदाकर्ता लॉगिन में "माई मेनू" के अंतर्गत "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे। निविदाकर्ताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट निविदा का चयन करना होगा। निविदाकर्ता के पास NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। NEFT का चयन करने पर, निविदाकर्ता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। निविदाकर्ता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेन-देन शुल्क राशि बिना किसी बदलाव के जमा करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, निविदाकर्ता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान जमा हो जाने के बाद, लेन-देन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और निविदाकर्ता को सिस्टम द्वारा एक मेल प्राप्त होगा। लेन-देन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना, निविदाकर्ता ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुँच प्राप्त नहीं कर पाएगा।

नोट: निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पूर्व ही लेन-देन शुल्क

जमा कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

4. निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी में पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी ईमेल आईडी वैध और अद्यतन हो। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) देख लें।

5. एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक पहुँच प्राप्त नहीं की जा सकती।

6. <u>ई-निविदा में बोली</u>:

क) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय बोली (भाग-I और भाग-II) प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया शामिल है।

ख) ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र होने के लिए विक्रेता(ओं) को ईएमडी और लेन-देन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेन-देन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ग) जिन निविदाकर्ताओं ने लेन-देन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट **www.mstcecommerce.com** → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई के अंतर्गत लॉगिन → माई मेनू → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।

घ) निविदाकर्ता के पास जावा एप्लीकेशन चालू होना चाहिए। यह प्रक्रिया बोली खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए और उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरकर उसे सेव करना होगा। इसके बाद, उन्हें तकनीकी बोली पर क्लिक करना होगा। यदि जावा एप्लिकेशन नहीं चलता है, तो निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बोली को सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा।

ङ) तकनीकी बोली भरने के बाद, निविदाकर्ताओं को उसे रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। वित्तीय बोली लिंक सक्रिय होने और विवरण भरने के बाद, निविदाकर्ताओं को वित्तीय बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, निविदाकर्ता को बोलियों को पंजीकृत करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करना होगा।

च) निविदाकर्ता दस्तावेज अपलोड करने के लिए "अटैच डॉक" बटन का उपयोग कर सकते हैं। एक से अधिक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं।

छ) सभी मामलों में, निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।

ज) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, निविदाकर्ता पूरी तरह से अज्ञातकृत रहेंगे।

झ) ई-निविदा मंच पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक खुला रहेगा।

ञ) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ निविदाकर्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा और निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति, कार्य निष्पादन हेतु निविदा आमंत्रण प्राधिकारी और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का निर्माण करेगी।

ट) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियाँ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएँ, अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ठ) निविदा आमंत्रण प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए, जैसा भी मामला हो, निविदा को रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ड) निविदाकर्ताओं के लिए निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों से कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदाकर्ता द्वारा ई-निविदा मंच पर बोली प्रस्तुत करना, निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है। इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

7. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले निविदाकर्ता मार्गदर्शिका पढ़ें और **https://www.mstcecommerce.com/eprocn** पृष्ठ पर वीडियो देखें ताकि वे बोली लगाने से पूर्व प्रणाली से परिचित हो सकें। निविदाकर्ता प्रत्येक वस्तु के लिए पोर्टल में निर्दिष्ट जीएसटी रहित केवल आधार दर ही उद्धृत करेंगे। उद्धृत दरों में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एमएसटीसी पोर्टल 1 अगस्त 2025 को अपराह्न 3:00 बजे से 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक दस्तावेज अपलोड करने और बोली लगाने के लिए उपलब्ध रहेगा।

3. बोलीदाताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. झारखंड राज्य में पंजीकृत कार्यालय वाली श्रेणी । सीए फर्मों से वर्ष 2025-26 के लिए बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षक (सीए) के रूप में नियुक्ति के लिए दो बोली प्रणाली के अंतर्गत ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी होगी। वे फर्म जो वर्तमान में बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक/सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक/समवर्ती लेखा परीक्षक हैं, और वे फर्म जिन्होंने अतीत में बैंक में इस तरह के ऑडिट किए हैं, लेकिन 30 सितंबर 2025 तक इस तरह के असाइनमेंट के पूरा होने के बाद कम से कम दो साल बीत नहीं गए हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, वे फर्म जो वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए DICGC और NHB में सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त की गई थीं/हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। फर्म द्वारा निविदा दस्तावेज़ में संलग्न प्रारूप में इस आशय का एक वचनपत्र (अनुलग्नक- क) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले उपर्युक्त निविदा के लेखापरीक्षा के दायरे, नियमों और शर्तों का अवलोकन करें।

3. निविदा प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाता उसमें निर्धारित पात्रता और अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यहाँ निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक प्रकृति की हैं और ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ अनुबंध निष्पादित करते समय बोलीदाता पर ऐसे अतिरिक्त या अन्य नियम और शर्तों को लागू करने या उन पर सहमत होने की आवश्यकता रखने, या यहाँ निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने से नहीं रोकेंगी, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

4. इच्छुक बोलीदाता एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता/बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ भरा हुआ फॉर्म-1 अपलोड करेंगे। इच्छुक और पात्र ऑडिट फर्मों को एमएसटीसी पोर्टल पर ऑडिट फर्म का प्रोफाइल अपलोड करना होगा, जिसमें भागीदारों की जानकारी, कर्मचारियों की संख्या (कुशल और अर्ध-कुशल) और इसी तरह की ऑडिटिंग का पिछला अनुभव आदि शामिल होना चाहिए। फर्म को निविदा दस्तावेज के "मूल्यांकन मानदंड" में उल्लिखित प्रमाणित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। एमएसटीसी पोर्टल पर बोली लगाते समय, बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे फॉर्म-2 अपलोड न करें।

5. बोलीदाता/बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे। फॉर्म भरते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तन/सुधार अधिकृत व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर से विधिवत प्रमाणित होने चाहिए। आंकड़ों की ओवरराइटिंग की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन न करने पर बैंक के विकल्प पर बोली रद्द कर दी जाएगी। वित्तीय बोली खुलने के बाद पारिश्रमिक या शर्तों में किसी भी बदलाव के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. पहले चरण में, तकनीकी बोली (भाग-I) **दिनांक 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 4:00 बजे** आरबीआई, राँची, झारखंड में ऑनलाइन मोड में खोली जाएगी। किसी भी बोलीदाता की बोली, जिसने नियम व शर्तों में निर्धारित एक या अधिक शर्तों का पालन नहीं किया है, सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। इसके बाद, चयनित तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज़ में दी गई पद्धति के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय बैंक के पूर्ण विवेक पर होगा।

7. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ₹56,000/- (छप्पन हज़ार रुपये मात्र) होगा, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक से कम दर्शाने वाली बोलियों को सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

8. बोलीदाता द्वारा उद्धृत मासिक पारिश्रमिक में जीएसटी शामिल नहीं माना जाएगा। यदि आवेदक बोली में जीएसटी शामिल नहीं करने में चूक करता है, तो बैंक द्वारा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. तकनीकी बोली (अर्थात् भाग-I) के मूल्यांकन के बाद, केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (भाग-II) खोली जाएगी, जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को उनके द्वारा दी गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से वित्तीय बोलियों के ऑनलाइन खुलने की तिथि और समय के बारे में सूचित किया जाएगा।

10. वित्तीय बोलियों में पारिश्रमिक केवल भारतीय रुपये में फॉर्म 2 के अनुसार अंकों और शब्दों दोनों में दिया जाएगा।

11. तकनीकी और वित्तीय दोनों बोलियों में सीए द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएँगी। सशर्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

12. सूचना का मिथ्याकरण/छिपाना, अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य सौंपे जाने के बाद भी बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा/अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।

13. किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से प्रचार करना, किसी लाभ की पेशकश करना या कोई अन्य प्रलोभन देना, संबंधित कानूनों के तहत अपराध माना जाएगा। ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा, साथ ही अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

14. बैंक न्यूनतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने या प्राप्त किसी एक या सभी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

15. बयाना राशि जमा (ईएमडी): निविदाकर्ता ₹15,859/- (पंद्रह हजार आठ सौ उनसठ रुपये मात्र) की ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से "भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची" को खाता संख्या में जमा करके प्रदान करेगा।

16. जिन बोलियों के साथ अग्रिम राशि जमा नहीं होगी, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा और बैंक द्वारा तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की अग्रिम राशि सफल बोलीदाता को कार्य सौंपे जाने के बाद बैंक द्वारा वापस कर दी जाएगी।

17. सफल बोलीदाता की अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी यदि बोलीदाता:

    i. प्रस्तुत प्रपत्रों, कथनों और अनुलग्नकों में भ्रामक या मिथ्या प्रस्तुतियाँ करता है, न्यायालय में लंबित किसी भी कानूनी कार्यवाही का कोई भी महत्वपूर्ण विवरण या विवरण छिपाता है, जिससे पात्रता मानदंडों पर कोई प्रभाव पड़ सकता था।
    ii. बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, या
    iii. किसी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाल दिया गया हो और काली सूची अभी भी लागू हो।

18. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ वेंडर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस वेंडर द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा और बैंक द्वारा उसे स्वीकार करने पर बैंक और वेंडर के बीच निष्पादन हेतु एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा।

19. यदि बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी बात के अर्थ के बारे में कोई संदेह है, तो उसे अपनी बोली जमा करने से कम से कम तीन दिन पहले एबीसीसी, आरबीआई राँची से स्पष्टीकरण प्राप्त करना होगा। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण, जिसमें स्पष्टीकरण मांगे गए सभी विवरण शामिल हैं, स्पष्टीकरण चाहने वाले बोलीदाता की पहचान का खुलासा किए बिना सभी बोलीदाताओं को अग्रेषित किया जाएगा। बोलीदाता और बैंक के बीच सभी संचार लिखित रूप

में किए जाएँगे। बैंक द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी लिखित स्पष्टीकरण को छोड़कर, जिसे एबीसीसी, आरबीआई राँची द्वारा जारी निविदा दस्तावेज़ के परिशिष्ट के रूप में स्पष्ट रूप से कहा गया हो, बैंक के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा दिया गया कोई भी लिखित या मौखिक संचार, प्रस्तुति या स्पष्टीकरण बैंक को अनुबंध के अंतर्गत बाध्य या बाध्य नहीं माना जाएगा।

4. निविदा दस्तावेज - अंतर्वस्तु

1. भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु निविदाएँ आमंत्रित करने के उद्देश्य से निविदा आमंत्रण दस्तावेज तैयार किया गया है। निविदा दस्तावेज में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

I. फॉर्म 1 (तकनीकी बोली फॉर्म)

II. फॉर्म 2 (वित्तीय बोली फॉर्म)

III. फॉर्म 3 (पूर्णकालिक भागीदारों का विवरण)

IV. फॉर्म 4 (पूर्णकालिक नियोजित सीए का विवरण)

V. फॉर्म 5 (बैंकों/ आरबीआई ऑडिट में फर्म के अनुभव का विवरण)

VI. पात्रता मानदंड

VII. तकनीकी बोली मूल्यांकन के मानदंड (अनुबंध-1)

VIII. वित्तीय बोली मूल्यांकन के मानदंड (अनुबंध-2)

IX. वचनबद्धता (अनुबंध- क)

X. नियुक्ति संबंधी जानकारी (अनुबंध- ख)

XI. नियुक्ति के नियम और शर्तें (अनुबंध- ग)

XII. बैंक का ऑडिट करने के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक का सारांश (अनुबंध- घ)

XIII. पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेज (अनुबंध- ङ)

XIV. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (अनुबंध- च)

2. बोलीदाता से निविदा दस्तावेज में दिए गए सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों और शर्तों की जाँच करने की अपेक्षा की जाती है। निविदा दस्तावेज द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी प्रदान न करने या ऐसी निविदा प्रस्तुत करने में विफलता जो हर दृष्टि से निविदा दस्तावेज के अनुरूप न हो, बोलीदाता के जोखिम पर होगी और इसके परिणामस्वरूप उसकी/ उनकी बोली अस्वीकार की जा सकती है।

3. बोलीदाता निविदा दस्तावेज के पाठ में कोई परिवर्तन या विलोपन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा।

फॉर्म 1: समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: तकनीकी बोली फॉर्म

1	सीए फर्म का नाम	
2	गठन	
3	पिन कोड के साथ पूरा डाक पता	
4	सीए फर्म की शाखाओं की संख्या और स्थान, यदि कोई हो	
5	मोबाइल नंबर	
6	टेलीफोन नंबर	
7	ईमेल पता	
8	सीए फर्म की स्थापना की तिथि **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं]**	
9	आईसीएआई के साथ फर्म पंजीकरण संख्या **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं]**	
10	यूनिक कोड नंबर – आरबीआई	
11	फर्म की आरबीआई श्रेणी	
12	जीएसटी नंबर **[जीएसटी पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत की जा सकती है]**	
13	स्थायी खाता संख्या (पैन) **[पैन की प्रति जमा की जा सकती है]**	
14	क्या वर्तमान में आरबीआई समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए शीतलन अवधि के तहत है?	
15	क्या पहले आरबीआई में सांविधिक केंद्रीय / शाखा / समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में काम किया हो?	

16	पूर्णकालिक फेलो चार्टेड एकाउंटेंट्स (एफसीए) भागीदारों का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से पैनल के वर्ष से ठीक पहले पूरे कैलेंडर वर्ष में फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
17	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से फर्म के साथ पांच साल से अधिक और सात साल तक जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
18	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से सात साल से अधिक और 10 साल तक फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
19	पूर्णकालिक सीए पार्टनर का नाम और सदस्यता संख्या जो विशेष रूप से 10 से अधिक वर्षों से फर्म से जुड़े थे। **[भागीदारों का विवरण फॉर्म-3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
20	फर्म में कार्यरत योग्य सीए का नाम और सदस्यता संख्या **[नियोजित सीए का विवरण फॉर्म -4 में प्रदान किया जा सकता है]**	
21	केवल लेखा परीक्षा सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य गतिविधियों जैसे परामर्श से अलग) **[दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं]**	
22	फर्म में कुशल कर्मचारियों की संख्या (सीए इंटरमीडिएट या उससे ऊपर का समूह 2)	

23	समवर्ती लेखा परीक्षकों / सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म के पूर्ण वर्षों के अनुभव की संख्या **[बैंक लेखा परीक्षा अनुभव का विवरण फॉर्म -5 में प्रदान किया जा सकता है]**	
24	पूर्णकालिक भागीदारों के नाम और सदस्यता संख्या, जिनके पास आठ या अधिक वर्षों का बैंक सांविधिक लेखापरीक्षा अनुभव है।	
25	समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केन्द्रीय/शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक लेखापरीक्षा में पिछले अनुभव का विवरण।	
26	पूर्णकालिक सीए भागीदारों का नाम और सदस्यता संख्या जिन्होंने अतिरिक्त योग्यता हासिल की है। **[अतिरिक्त योग्यता का विवरण फॉर्म -3 में प्रदान किया जा सकता है]**	
27	क्या सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा फटकार लगाई गई थी? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
28	क्या सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा फटकार लगाई गई थी? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
29	क्या सीए अधिनियम, 1949 के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीए फर्म या उसके किसी सीए पार्टनर/रों और/या फर्म के किसी सीए कर्मचारी/कर्मचारियों को पेशेवर कदाचार का दोषी पाया/पाये गया/गये था/थे? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
30	क्या सीए फर्म ने पिछले तीन वर्षों में निर्धारित तीन वर्षों की अवधि के पूरा होने से पूर्व आरबीआई द्वारा सौंपे गए समवर्ती लेखा परीक्षा को लेने से इनकार	

	कर दिया था या आरबीआई द्वारा इसे सौंपे गए समवर्ती लेखा परीक्षा को छोड़ दिया था? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।	
31	क्या आपने वर्तमान में किसी अन्य आरबीआई कार्यालय / विभाग में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा	
32	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी, फर्म इंगित करना चाहती है।	

मैं/हम निम्नानुसार घोषणा करते हैं:

(1) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और हमें अतीत में किसी भी संगठन द्वारा डी-पैनल/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और हम भारतीय रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। यदि बैंक को बाद में हमारे द्वारा ऊपर दिए गए विवरण गलत/सत्य नहीं मिलते हैं, तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है।

(2) मैंने/हमने बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक ने बिना कोई कारण बताए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

सीए फर्म की मुहर के साथ

फॉर्म 2: समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन: वित्तीय बोली फॉर्म

सीए फर्म का नाम	
पूरा पता	
आरबीआई में हमारे समवर्ती लेखा परीक्षा को चलाने के लिए मासिक पारिश्रमिक (सभी लागतों सहित तथा लागू करों को छोड़कर) **(राशि रुपये में - शब्दों और आँकड़ों में)**	

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

सीए फर्म की मुहर के साथ

<u>नोट</u>: ऊपर फॉर्म 2, केवल सूचना/संदर्भ के लिए है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे एमएसटीसी पोर्टल पर फॉर्म I (यानी, 'तकनीकी बोली' या भाग-1) के भीतर शामिल फॉर्म 2 (यानी, 'वित्तीय बोली' या भाग-II) जमा न करें क्योंकि फॉर्म 2 (वित्तीय बोली) दोनों बोलियों को दर्ज करते समय पोर्टल पर एक अलग विंडो में दर्ज की जाएगी।

यदि भाग-I के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी वित्तीय बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

बोलीदाताओं को एमएसटीसी पोर्टल पर 'इवेंट कैटलॉग' के तहत 'वित्तीय बोली' दर्ज करनी होगी।

फॉर्म 3: पूर्णकालिक भागीदारों का विवरण

पूर्णकालिक भागीदारों का नाम	देने की तिथि		फर्म में सम्मिलित होने की तिथि	सदस्यता संख्या	अन्य योग्यताएँ *	बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा में अनुभव की संख्या वर्षों में
	एसीए	एफसीए				

* केवल तभी इंगित करें जब पार्टनर ने निम्नलिखित योग्यताएँ हासिल कर ली हों

अतिरिक्त योग्यता	**से**
सूचना प्रणाली में डिप्लोमा (डीआईएसए)	आईसीएआई
प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए)	आईएसएसीए, यूएसए
प्रमाणित सार्वजनिक लेखाकार (सीपीए)	एआईसीपीए, यूएसए
प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए)	आईआईए, यूएसए
प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (सीएफई)	एसीएफई, यूएसए
(i) इंड एएस (ii) फोरेंसिक लेखा और धोखाधड़ी की रोकथाम (iii) सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा (iv) बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा (v) धन शोधन निवारण कानून (vi) विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन (vii) वस्तु एवं सेवा कर	आईसीएआई

फॉर्म 4: पूर्णकालिक नियोजित सीए का विवरण

नियोजित सीए का नाम	फर्म में सम्मिलित होने की तिथि	सदस्यता संख्या	अन्य योग्यताएँ	अनुभव

फॉर्म 5: बैंकों/ भारतीय रिज़र्व बैंक लेखा परीक्षाओं में फर्म के अनुभव का विवरण

लेखा परीक्षा का प्रकार *	बैंक का नाम	शाखा/ कार्यालय	बैंकों/ भारतीय रिज़र्व बैंक लेखा परीक्षाओं में फर्म का अनुभव (दिनांक से/ दिनांक तक)

* सांविधिक केंद्रीय/ सांविधिक शाखा/ समवर्ती लेखा परीक्षा

6. पात्रता मापदंड

क. श्रेणी। सीए फर्म जिनका झारखंड राज्य में पंजीकृत कार्यालय है, वर्ष 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों (सीए) के रूप में बैंक में नियुक्ति के लिए, दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक। वे फर्में जो वर्तमान में बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक/ सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक/ समवर्ती लेखा परीक्षक हैं, और वे फर्म जिन्होंने अतीत में बैंक में इस तरह के लेखा परीक्षा किए हैं, लेकिन इस तरह के असाइनमेंट के पूरा होने के बाद से कम से कम दो वर्ष नहीं हुए हैं, 30 सितंबर 2025 तक आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए डीआईसीजीसी और एनएचबी में सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त की गई फर्में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। निविदा दस्तावेज में संलग्न प्रारूप में इस आशय का एक वचन पत्र (अनुलग्नक-ए) फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ख. न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक से कम दर्शाने वाली बोलियों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा।

ग. फर्म या किसी भी भागीदार को आईसीएआई द्वारा शुरू की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन नहीं होना चाहिए।

घ. फर्म या किसी भी भागीदार को भारत या विदेश में किसी भी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी संगठन/ संस्था द्वारा वंचित या वर्ज्य सूची में नहीं डाला गया हो।

7. मूल्यांकन मानदंड

आवेदकों की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बोलीदाताओं से मांगे गए सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जाँच करने के बाद और नीचे दी गई पद्धति के अनुसार:

(i) बोलीदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि वित्तीय बोलियों को खोलने से पहले तकनीकी मूल्यांकन पूरा करने के साथ बोलियों के मूल्यांकन में दो चरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(ii) इस निविदा में नीचे दिए गए मापदंडों के साथ फर्म की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता सर्वोपरि है। नियुक्ति का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा:

क) तकनीकी बोली में 60 या अधिक अंक (100 में से) प्राप्त करने वाली फर्में, केवल वित्तीय मूल्यांकन के अगले चरण के लिए पात्र होंगी। (अनुबंध- । में विस्तृत)

ख) बैंक उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिनके प्रस्ताव न्यूनतम अर्हक अंकों को प्राप्त नहीं करते हैं या निविदा शर्तों के प्रति गैर-उत्तरदायी माने जाते हैं। बैंक इसके साथ-साथ उन बोलीदाताओं को सूचित करेगा जिन्होंने ऊपर (क) में उल्लिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए हैं, जो अगले भाग के लिए निर्धारित तिथि और समय अर्थात वित्तीय बोलियों के खोलने का संकेत देते हैं। अधिसूचना वैध ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी जैसा कि निविदाकर्ता द्वारा दिया गया है।

ग) वित्तीय बोलियाँ उन बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑनलाइन खोली जाएंगी जो भाग लेने का विकल्प चुनते हैं (केवल एक प्रतिनिधि प्रति बोलीदाता)। बोलीदाता का नाम, गुणवत्ता स्कोर और प्रस्तावित कीमतों को जोर से पढ़ा जाएगा और वित्तीय बोलियाँ खोले जाने पर दर्ज किया जाएगा।

घ) तकनीकी मूल्यांकन के तहत अधिकतम 100 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं जो अनुबंध- । में विस्तृत है।

ङ) अंतिम मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को **70:30** के अनुपात में जोड़कर किया जाएगा, जिसमें बोलीदाता उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने के साथ नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

च) अंतिम मूल्यांकन के बाद बराबरी की स्थिति में, तकनीकी मूल्यांकन के चार मापदंडों के आधार पर फर्म का मूल्यांकन करके बराबरी का समाधान किया जा सकता है, (1) बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्मों का अनुभव (2) फर्म का अनुभव (3) पूर्णकालिक एफसीए पार्टनर्स और (4) औसत टर्नओवर, इन मापदंडों को क्रमिक रूप से माना जाता है, उदाहरण के लिए, यदि अंतिम मूल्यांकन के बाद फर्म 'ए' और 'बी' के बीच बराबरी है तो 'अनुभव' के तहत प्राप्त अंक सफल बोलीदाता का निर्णय करने के लिए बैंक लेखा परीक्षा के मानदंड पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त पैरामीटर के तहत बराबरी की स्थिति में भी, बाद के पैरामीटर के तहत प्राप्त बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है अर्थात, फर्म के अनुभव पर विचार किया जा सकता है और इसी तरह।

अनुलग्नक-1: तकनीकी मूल्यांकन के लिए संशोधित टेम्पलेट

भारतीय रिज़र्व बैंक में समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति – तकनीकी मूल्यांकन

क्र. सं.	पैरामीटर	स्कोरिंग स्केल	टिप्पणियाँ	स्कोर
1	सीए फर्म का अनुभव	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए आधा अंक (0.5)। **[अधिकतम 15 अंक]**	आईसीएआई डेटा के अनुसार स्थापना वर्ष	
2	पूर्णकालिक फेलो सीए (एफसीए) पार्टनर्स	प्रत्येक पूर्णकालिक एफसीए के लिए डेढ़ (1.5) अंक। **[अधिकतम 12 अंक]**	पैनल के वर्ष से ठीक पहले पूरे कैलेंडर वर्ष में फर्म से जुड़े पूर्णकालिक एफसीए की संख्या।	
3	फर्म के साथ पूर्णकालिक सीए भागीदारों की एसोसिएशन - भागीदारों की संख्या	• पाँच साल से अधिक और सात साल तक फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए एक अंक (1.0)। • सात साल से अधिक और दस साल तक फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए डेढ़ अंक (1.5)। • दस से अधिक वर्षों के लिए फर्म से जुड़े प्रत्येक पूर्णकालिक सीए पार्टनर के लिए दो अंक (2.0)। **[अधिकतम 10 अंक]**	सीए पार्टनर की नियुक्ति तिथि से पूरे हो चुके वर्ष।	
4	प्रमुख पेशेवर कर्मचारी - पूर्णकालिक सीए कर्मचारी	पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों के लिए प्रत्येक एक अंक (1.0)। **[अधिकतम 8 अंक]**		
5	केवल लेखापरीक्षा सेवाओं से फर्म के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक कारोबार का औसत (अन्य गतिविधियाँ जैसे परामर्श से अलग)	• मेट्रो शहरों (मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद) में 100 लाख रुपये के औसत कारोबार और इसके गुणकों में से प्रत्येक के लिए एक अंक (1.0) • पूर्ण किए गए 60 लाख रु प्रत्येक के लिए एक बिंदु (10) और अन्य स्थानों पर इसके गुणक। **[अधिकतम 10 अंक]**	उदाहरण के लिए, यदि कोई फर्म दिल्ली में स्थित है जिसका औसत कारोबार ₹450 लाख है, तो उसे चार अंक दिए जाएंगे । गैर-मेट्रो केंद्रों में, समान टर्नओवर वाली फर्म को सात अंक मिलेंगे।	

6	कुशल कर्मचारियों की संख्या - समूह 2 में योग्य सीए इंटरमीडिएट	प्रत्येक पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारियों के लिए क्वार्टर अंक (0.25) **[अधिकतम 12 अंक]**	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म में 30 पूर्णकालिक योग्य कुशल कर्मचारी हैं, तो 7.5 अंक प्रदान किए जाएंगे।	
7	बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म का समवर्ती लेखा परीक्षकों / सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षक के रूप में अनुभव	समवर्ती लेखा परीक्षकों और/ या सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों और/ या शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में सीए फर्म के एक वर्ष के पूर्ण अनुभव के लिए आधा अंक (0.5) प्रत्येक। **[अधिकतम 20 अंक]**	उदाहरण के लिए, यदि सीए फर्म को समवर्ती लेखा परीक्षक / सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षक के रूप में बैंक लेखा परीक्षा में 17 साल का अनुभव है, तो 8.5 अंक दिए जाएंगे।	
8	आठ या अधिक वर्षों का बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक भागीदारों की संख्या।	आठ या अधिक वर्षों का बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा अनुभव रखने वाले पूर्णकालिक भागीदार प्रत्येक के लिए एक अंक (1.0)। **[अधिकतम 4 अंक]**	उदाहरण के लिए, यदि किसी फर्म के पास बैंक सांविधिक लेखा परीक्षा के 10 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले पाँच पूर्णकालिक भागीदार हैं, तो चार अंक प्रदान किए जाएंगे।	
9	आरबीआई लेखा परीक्षा में समवर्ती लेखा परीक्षक / सांविधिक केंद्रीय / शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में पिछला अनुभव।	• आरबीआई में लेखापरीक्षा का कोई पूर्व अनुभव नहीं - [शून्य अंक] • आरबीआई में लेखा परीक्षा का पूर्व अनुभव - [3.0 अंक] **[अधिकतम 3 अंक]**	यदि नई फर्म का भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ कोई पूर्व लेखा परीक्षा संबंध नहीं है, तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा।	
10	पूर्णकालिक सीए भागीदारों की अतिरिक्त योग्यता/ निरंतर कौशल उन्नयन।	इनमें से किसी भी अतिरिक्त योग्यता के लिए आधा अंक (0.5) (i) आईसीएआई से सूचना प्रणाली (डीआईएसए) में डिप्लोमा (ii) प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए) आईएसएसीए, यूएसए से (iii) एआईसीपीए, यूएसए से प्रमाणित सार्वजनिक	एक पूर्णकालिक सीए पार्टनर्स को केवल एक योग्यता के लिए अंक से सम्मानित किया जाएगा।	

		लेखाकार (सीपीए) (iv) आईआईए, यूएसए से प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक (सीआईए) (v) एसीएफई, यूएसए से प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक (सीएफई)। • आईसीएआई से किसी भी प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए तिमाही अंक (0.25) अर्थात (i) इंडस्ट्रीज़ एएस (ii) फोरेंसिक लेखा और धोखाधड़ी की रोकथाम (iii) सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखा (iv) बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा (v) एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून (vi) विदेशी मुद्रा और ट्रेजरी प्रबंधन (vii) माल और सेवा कर। **[अधिकतम 6 अंक]**		
	पेशेवर ट्रैक रिकॉर्ड			
11	सीए फर्म या उसके किसी भी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा फटकार लगायी गयी है।	यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म या उसके किसी भागीदार को एनएफआरए द्वारा एक सलाह/सावधानी/जुर्माना (मौद्रिक) जारी किया गया है – [नकारात्मक 10 अंक]। **[अधिकतम '0' अंक]**		
12	सीए फर्म या उसके किसी भी सीए पार्टनर को पिछले तीन वर्षों में गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा फटकार लगायी गयी है।	फर्म के स्कोर में 10 अंकों की कमी की जाएगी, यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म या उसके किसी भागीदार को गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड द्वारा एड्वाइजरी जारी की गई है। **[अधिकतम '0' अंक]**		
13	पिछले पाँच वर्षों में आईसीएआई के अनुसार एक सदस्य द्वारा व्यावसायिक कदाचार।	यदि सीए अधिनियम, 1949 के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीए अधिनियम 1949 के तहत सीए फर्म या उसके किसी सीए भागीदार और/या फर्म के किसी सीए कर्मचारी		

		को पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो फर्म के स्कोर में 10 अंकों की कमी की जाएगी। **[अधिकतम '0' अंक]**		
14	पिछले तीन वर्षों में आरबीआई द्वारा आवंटित लेखा परीक्षा से इनकार करना।	फर्म के स्कोर में 10 अंकों की कमी की जाएगी, यदि पिछले तीन वर्षों में, सीए फर्म ने निर्धारित समवर्ती लेखा परीक्षा लेने से इनकार कर दिया था या निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले आरबीआई द्वारा इसे सौंपा गया समवर्ती लेखा परीक्षा छोड़ दिया था। **[अधिकतम '0' अंक]**		
		कुल		

अनुलग्नक- 2: वित्तीय मूल्यांकन के तहत संशोधित स्कोरिंग विधि और विभिन्न परिदृश्यों के तहत कुछ उदाहरण

क. वित्तीय मूल्यांकन के लिए संशोधित पद्धति

क्र. सं.	विवरण	फार्मूला*
1	सबसे कम बोली (L1)	L1 / L1
2	L-2	L1 / L2
3	L-3	L1 / L3
4	L-4	L1 / L4
5	L-5	L1 / L5
6	L-6	L1 / L6
	L-n	L1 / Ln

* दो दशमलव अंक तक का मान

ख. उदाहरण 1: वित्तीय बोलियों में व्यापक भिन्नता

वित्तीय बोलियाँ		क्रमबद्ध बोलियाँ और स्कोरिंग				
फर्म	बोली	L	फर्म	बोली	अंक	फार्मूला
Firm A	1,00,000	L1	Firm E	98,500	100.00	L1 / L1
Firm B	1,20,000	L2	Firm A	1,00,000	98.50	L1 / L2
Firm C	1,50,000	L3	Firm D	1,15,000	85.65	L1 / L3
Firm D	1,15,000	L4	Firm B	1,20,000	82.08	L1 / L4
Firm E	98,500	L5	Firm F	1,32,000	74.62	L1 / L5
Firm F	1,32,000	L6	Firm C	1,50,000	65.67	L1 / L6

ग. उदाहरण 2: समान वित्तीय बोलियों वाली दो फर्में

वित्तीय बोलियाँ		क्रमबद्ध बोलियाँ और स्कोरिंग				
फर्म	**बोली**	**L**	**फर्म**	**बोली**	**अंक**	**फार्मूला**
Firm A	1,00,000	L1	Firm E	98,500	100.00	L1 / L1
Firm B	1,20,000	L2	Firm A	1,00,000	98.50	L1 / L2
Firm C	1,20,000	L3	Firm D	1,15,000	85.65	L1 / L3
Firm D	1,15,000	L4	Firm B	1,20,000	82.08	L1 / L4
Firm E	98,500	L5	Firm C	1,20,000	82.08	L1 / L5
Firm F	1,32,000	L6	Firm F	1,32,000	74.62	L1 / L6

घ. उदाहरण 3: वित्तीय बोलियों में सीमांत भिन्नता

वित्तीय बोलियाँ		क्रमबद्ध बोलियाँ और स्कोरिंग				
फर्म	**बोली**	**L**	**फर्म**	**बोली**	**अंक**	**फार्मूला**
Firm A	1,00,000	L1	Firm A	1,00,000	100.00	L1 / L1
Firm B	1,01,000	L2	Firm F	1,00,010	99.99	L1 / L2
Firm C	1,00,100	L3	Firm C	1,00,100	99.90	L1 / L3
Firm D	1,00,300	L4	Firm E	1,00,250	99.75	L1 / L4
Firm E	1,00,250	L5	Firm D	1,00,300	99.70	L1 / L5
Firm F	1,00,010	L6	Firm B	1,01,000	99.01	L1 / L6

अनुलग्नक- क

11. घोषणा

हम, मेसर्स .... (फर्म का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय .... (फर्म का पता) वर्तमान में आरबीआई के सांविधिक /सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक/ समवर्ती लेखा परीक्षक नहीं हैं और 30 सितंबर 2023 से आरबीआई में इस तरह के लेखा परीक्षा नहीं किए हैं।

इसके अलावा, हम वर्तमान में 30 सितंबर 2023 से डीआईसीजीसी और एनएचबी में सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं किए गए हैं/ नियुक्त नहीं किए गए थे।

हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर उल्लिखित भूमिकाओं में अतीत में सेवा प्रदान करने की स्थिति में, 30 सितंबर 2025 से पहले दो साल की शीतलन अवधि रखी गयी थी।

फर्म की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक- ख

12. नियुक्ति संबंधी जानकारी

I. सीए फर्म को **समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए तीन** कर्मियों ***(कम से कम एक योग्य सीए, एक कुशल और एक अर्ध-कुशल कर्मचारी)*** को तैनात करना होगा। जिनमें से, कम से कम एक योग्य सीए होना चाहिए। कुशल स्टाफ को एकीकृत व्यावसायिक सक्षमता पाठ्यक्रम (आईपीसीसी) के कम से कम समूह II में उत्तीर्ण होना चाहिए और अर्धकुशल स्टाफ को आईपीसीसी के कम से कम समूह I में उत्तीर्ण होना चाहिए और अनुच्छेद प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। हालांकि, बैंक आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त कर्मियों को बुलाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

II. सभी सीए स्टाफ को कंप्यूटर/ आईटी सिस्टम का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

III. सीए फर्म के प्रोफाइल में भागीदारों, कर्मचारियों की संख्या (कुशल और अर्ध-कुशल) और समान ऑडिटिंग आदि के पिछले अनुभव की जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए।

IV. समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति शुरू में 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसके बाद इसे दूसरे (01 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक) और तीसरे वर्ष (01 अक्टूबर 2027 से 30 सितंबर 2028 तक) के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है, जो सीए के प्रदर्शन की वार्षिक समीक्षा में संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन है।

V. कार्यालय में सीए/लेखा परीक्षा फर्म के भागीदार की उपस्थिति दैनिक आधार पर आवश्यक है।

VI. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

VII. राँची कार्यालय की समवर्ती लेखा परीक्षा करने के लिए न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ₹56,000/- (रुपये छप्पन हजार मात्र) होगा, जिसमें सभी लागत शामिल हैं और जीएसटी शामिल नहीं है। पारिश्रमिक पूरी अवधि के लिए समान रहेगा और कार्यकाल के बाद के नवीकरण पर भी, यदि कोई हो, नहीं बदलेगा।

VIII. पारिश्रमिक का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-जे तथा अन्य लागू करों/उपकर/अधिभार के अनुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती के बाद किया जाएगा। उद्धृत पारिश्रमिक अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। भुगतान फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करने के बाद उचित अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। आरबीआई अपने नियंत्रण से परे कारणों से भुगतान में देरी के लिए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- **कार्यक्षेत्र**

1. समवर्ती लेखा परीक्षा में राँची कार्यालय के निम्नलिखित विभाग/ अनुभाग/ कक्ष सम्मिलित होंगे:

क. उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कक्ष

ख. केंद्रीय स्थापना अनुभाग

ग. पर्यवेक्षण विभाग (बाजार आसूचना कक्ष सहित)

घ. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

ङ. संपदा विभाग (परियोजना कक्ष सहित)

च. वित्तीय समावेशन और विकास विभाग

छ. सरकारी बैंकिंग प्रभाग

ज. मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (एबीसी कक्ष एवं शिष्टाचार और सुरक्षा कक्ष सहित)

झ. भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन का कार्यालय

ञ. राजभाषा कक्ष

ट. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन कक्ष (ईआरएम कक्ष)

2. औसतन, सीए द्वारा मासिक आधार पर जाँचे जाने वाले वाउचरों की संख्या लगभग **500** है। तथापि, यह संख्या केवल सांकेतिक प्रकृति की है और कार्यालय/ विभाग की आवश्यकता के आधार पर वाउचरों की संख्या में वृद्धि/ कमी हो सकती है।

3. सीए से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय/ विभाग की प्रणाली और प्रक्रियाओं से परिचित हों और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे समय-समय पर बैंक द्वारा जारी सभी संगत परिपत्रों/ दिशानिर्देशों, संगत मैनुअलों, व्यय नियमों आदि में समाविष्ट प्रावधानों का अध्ययन करेंगे।

4. समवर्ती लेखा परीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे लेखा परीक्षा के उद्देश्य से बैंक द्वारा विकसित ऑनलाइन रिपोर्टिंग आवेदन लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) से परिचित हों और बैंक द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करें और कार्रवाई पैरा (संशोधित पैरा सहित) बनाएँ.

5. सीए को निम्नलिखित पहलुओं के संदर्भ में वाउचर की जाँच करनी चाहिए:

i. बैंक के व्यय नियमों (ईआर) का पालन, जैसा कि समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

ii. लेखांकन के उचित शीर्ष के तहत कथन और लेखांकन।

iii. राजस्व और व्यय की पूंजीगत प्रकृति का सही लेखा-जोखा।

iv. निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी प्रासंगिक खातों (जैसे आरबीआई जनरल खाता, एसजीएल, सहायक रिकॉर्ड / रजिस्टर आदि) का रख-रखाव।

v. अंतर-कार्यालय सुलह खाता, समायोजन खाता।

vi. मासिक अंतरालों पर प्रभारों के खाते का मिलान और निगरानी।

vii. एजेंसी कमीशन के दावों की गणना।

6. सीए के लिए विस्तृत सारांश **अनुलग्नक- घ** के रूप में संलग्न है। सारांश में उल्लिखित वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों के विवरण को कवर करने वाली चेकलिस्ट, जिन्हें लेखा परीक्षा करते समय जाँच करने की आवश्यकता है, फर्म को उनकी नियुक्ति के बाद प्रदान की जाएगी। चेकलिस्ट के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षा अनिवार्य है।

7. सीए को राँची कार्यालय के परामर्श से सहमत तिथियों/ दिनों पर वाउचर/ रिकॉर्ड/ रजिस्टरों की लेखा परीक्षा करनी चाहिए।

8. सीए से अपेक्षा की जाती है कि वे मौके पर सुधार के लिए पायी गयी कमियों, यदि कोई हों, की पहचान करें।

9. सीए से यह सत्यापित करने और रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जाती है कि किए गए वित्तीय लेन-देन बैंक की निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

10. सीए को कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार आवधिक आय समीक्षा विवरण से संबंधित रिपोर्टों को सत्यापित करने, कारोबार के साप्ताहिक विवरण (डब्ल्यूएसए), सार डब्ल्यूएसए, आय विवरण, कैरी-फॉरवर्ड प्रावधान रिपोर्ट आदि को प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी।

11. ऊपर निर्दिष्ट सीए के कार्यों को कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार भविष्य में बढ़ाया/ संशोधित किया जा सकता है।

12. समवर्ती लेखा परीक्षक सभी सांविधिक करों और उनके रिटर्न के निर्धारण में बैंक के कर्मचारियों की सहायता करेगा। फर्म निर्दिष्ट अंतरालों पर बैंक की जीएसटी/ आयकर विवरणियाँ (और बाद में लागू होने वाली कोई अन्य संबंधित विवरणी) तैयार करेगी और भरने में सहायता करेगी।

<u>रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ</u>

1. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्र अगले महीने की 10 तारीख तक या बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
2. इस रिपोर्ट में वित्तीय और गैर-वित्तीय (वृहद एवं अन्य) कार्रवाई पैरा संबंधी मद-वार कार्रवाई बिन्दुओं का उल्लेख होना चाहिए।

3. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में माह के दौरान सुधार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्टों से संबंधित कार्रवाई बिन्दुओं के संबंध में अनुपालन की स्थिति और बकाया अनुपालन, यदि कोई हो, में विलंब का कारण भी दर्शाया जाना चाहिए।
4. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संवेदनशील खातों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों जैसे कि उचंत, विविध आदि के संबंध में निष्क्रियता के कारणों को उजागर किया जाना चाहिए।
5. संवेदनशील क्षेत्रों और/ या संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन में पायी गयी अनियमितताओं को एक विशेष नोट रिकॉर्ड करके क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
6. समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विशिष्ट टिप्पणियाँ, जहाँ कहीं आवश्यक हो, तथ्यों और आँकड़ों द्वारा विधिवत समर्थित होनी चाहिए।
7. आय में प्रमुख अनियमितताओं/ धोखाधड़ियों/लीकेज, यदि किसी की पहचान की गई है, को लेखा परीक्षा कार्यालय, संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग और निरीक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
8. विभागों/ कार्यालयों द्वारा विभिन्न विवरणियों और विवरणों को प्रस्तुत करने से संबंधित सांविधिक और विनियामक अनुपालन की जाँच और प्रमाणन।

अनुलग्नक- ग

1. नियुक्ति के नियम और शर्तें

बैंक और सफल आवेदक के बीच समझौते के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. लेखा परीक्षक की नियुक्ति के समय सीए की मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत कवर की जाने वाली मदें, मास्टर परिपत्रों की सूची, वित्तीय अनियमितताओं का सारांश, प्रमुख अनियमितताओं का सारांश, सीए के लिए चेक लिस्ट में शामिल की जाने वाली मदों की अतिरिक्त सूची और वार्षिक लेखा / विवरणियाँ / लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी सामान्य अनियमितताओं को प्रदान किया जाएगा। सत्यापित किए जाने वाले लेन-देन में कोई छूट किसी भी खाते पर नहीं की जाएगी।
2. मासिक पारिश्रमिक के लिए बिल सीए द्वारा मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है और सभी लागू वैधानिक करों यानी टीडीएस, जीएसटी पर टीडीएस, आदि में कटौती के बाद इसका निपटान किया जाएगा। भुगतान पूर्ण बिल जमा करने की तारीख से उचित अवधि के भीतर किया जाएगा। बैंक अपने नियंत्रण से परे कारणों से भुगतान में देरी के लिए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पारिश्रमिक का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. आरबीआई सफल आवेदक के स्टाफ को कार्यालय परिसर में उपयुक्त बैठने की जगह के अलावा कोई अन्य सुविधा/ प्रभार प्रदान नहीं करेगा। सीए या उसके कर्मचारी अपनी नौकरी से संबंधित कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए आरबीआई परिसर की संपत्तियों, फिक्स्चर, फिटिंग आदि का उपयोग नहीं करेंगे। बैंक द्वारा प्रदान किए गए सभी उपकरणों और सामग्री की पर्याप्त देखभाल करने के लिए सीए जिम्मेदार होगा।
4. उद्धृत मासिक पारिश्रमिक को जीएसटी /लागू करों रहित माना जाएगा। यदि आवेदक निविदा में जीएसटी रहित करने में विफल रहता है, तो बैंक द्वारा बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, स्रोत पर टीडीएस काटा जाएगा और फर्म को उसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
5. वित्तीय बोलियों में भारतीय रुपये (आईएनआर) में केवल फॉर्म 2 के अनुसार, आँकड़ों और शब्दों दोनों में पारिश्रमिक होगा। वित्तीय बोली के साथ किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है। कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। मासिक पारिश्रमिक के लिए बिल सीए द्वारा मासिक आधार पर बनाया जा सकता है और सभी लागू वैधानिक करों में कटौती के बाद इसका निपटान किया जाएगा।
6. दायरे और कवरेज में निर्दिष्ट फर्म के कार्यक्षेत्रों को कार्यालय की जरूरतों के आधार पर भविष्य में बढ़ाया जा सकता है।
7. लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय में समस्या क्षेत्रों की पहचान करें और उन्हें दूर करने के लिए अपने सुझाव दें।
8. यथा प्रस्तावित समवर्ती लेखा परीक्षा एक सतत् प्रक्रिया होगी और इस प्रयोजन के लिए सहायक वाउचर लेखा

परीक्षकों को तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. लेन-देनों को समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए रखने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए।

10. लेखा परीक्षकों को यह सत्यापित करना होगा और रिपोर्ट देनी होगी कि बैंक में वित्तीय परिचालन बैंक द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप किए गए हैं या नहीं।

11. ऑडिटरों को यह भी सत्यापित करना होगा और रिपोर्ट देनी होगी कि क्या लेन-देन ठीक से रिकॉर्ड किए गए हैं/ दस्तावेज किए गए हैं और प्रमाणित किए गए हैं।

12. लेखा परीक्षकों को स्पॉट सुधार के लिए पायी गयी कमियों को इंगित करना आवश्यक है। उन्हें हमारे कार्यालय में पायी गयी प्रमुख कमियों पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है।

13. संवेदनशील क्षेत्रों में पायी गयी अनियमितताओं और/ या संदिग्ध प्रकृति के लेन-देन को एक विशेष नोट रिकॉर्ड करके क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

14. विभागों के कामकाज के पहलुओं पर किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी को उसके कारणों से समर्थन दिया जाना चाहिए।

15. यह कार्यालय समवर्ती लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित करेगा और अनियमितताओं के कारणों की जाँच करने तथा उपयुक्त सुधार शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। सीए फर्म को इन रिपोर्टों का पालन करना चाहिए और जाँच करनी चाहिए कि क्या इन कमियों को ठीक किया गया है। यदि रिपोर्ट की तारीख से उचित अवधि के भीतर कमियों को दूर नहीं किया गया है, या यदि कमियों की बाद में पुनरावृत्ति होती हैं, तो इसे क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

16. लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सामान्य और अस्पष्ट टिप्पणियाँ करने से बचना चाहिए। इसके बजाय, सीए को कारणों और प्रासंगिक सांख्यिकीय और अन्य आँकड़ों द्वारा विधिवत समर्थित विशिष्ट टिप्पणियों को शामिल करने के लिए इसे एक बिंदु बनाना चाहिए।

17. मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पायी गयी वित्तीय, गैर-वित्तीय और अन्य प्रमुख अनियमितताओं पर मद-वार कार्रवाई बिन्दुओं का निरपवाद रूप से उल्लेख होना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेख होना चाहिए कि लेखा-परीक्षित लेन-देनों/ वाउचरों को उचित रूप से रिकार्ड किया गया है या प्रलेखित किया गया है और प्रमाणित किया गया है। पूर्व की रिपोर्टों की लेखा परीक्षा अनियमितताओं की अनुपालन स्थिति की अद्यतन स्थिति को लेखा परीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया जाना चाहिए।

18. सीए फर्म को मासिक रिपोर्ट (बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी में) यानी ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम (एएमएस), जिसमें पायी गयी कमियों को शामिल किया गया है, **को अगले महीने की 10 तारीख तक कार्यालय में सकारात्मक रूप से या बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा।**

19. आवधिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों में संवेदनशील खातों में पुरानी और उच्च मूल्य की बकाया प्रविष्टियों जैसे कि उचंत, विविध प्रविष्टियों, भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य खाता आदि के संबंध में कार्रवाई के ब्यौरे और/ अथवा निष्क्रियता के कारणों को निरपवाद रूप से उजागर किया जाना चाहिए।

20. इसके अंतर्गत दिए गए प्रमाण-पत्रों को मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

क. "कार्यालय में वित्तीय परिचालन बैंक द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुरूप किए गए थे"।

ख. "लेन-देन ठीक से दर्ज किए गए, प्रलेखित किए गए और प्रमाणित किए गए"।

ग. "नियम और शर्तों के अनुसार ऑडिट किए जाने वाले सभी क्षेत्रों का हमारे द्वारा ऑडिट किया गया है"।

इसके अलावा, बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य प्रमाणन/ अवलोकन भी मासिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्ज किया जा सकता है।

21. ऑडिट फर्म उनके द्वारा देखे गए किसी भी लेन-देन के संबंध में उनकी ओर से किसी भी चूक या कमीशन के लिए जिम्मेदार होगी। यदि लेखा परीक्षा फर्म के कामकाज में चूक का कोई गंभीर मामला पाया जाता है, तो बैंक ऐसे कार्यों के लिए भारतीय सीए संस्थान (आईसीएआई) को रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वे उचित समझें।

22. लेखापरीक्षा फर्म को बैंक की प्रणालियों और प्रक्रियाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए नियुक्ति की अवधि के विस्तार के समय हर वर्ष गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (उपयुक्त कानून के अनुसार मूल्य) पर एक शपथ पत्र सह क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करना होगा और साथ ही बैंक द्वारा किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली हानि या क्षति के कारण किसी भी दावे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करना होगा।

23. ऑडिट फर्म को जीएसटी से संबंधित और आईटी से संबंधित सभी रिटर्न दाखिल करने में मदद करनी होगी।

24. लेखापरीक्षा फर्म को समय-समय पर दी गई सलाह के अनुसार सभी कराधान मामलों पर अद्यतन प्राप्त करना होगा।

25. तैनात कर्मचारियों के साथ फर्म के सीए/ पार्टनर की उपस्थिति कार्यालय परिसर में, सभी कार्य दिवसों पर और कार्य शनिवार को कार्य घंटों (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:45 बजे तक) या बैंक के विवेक के अनुसार अनिवार्य है। उपर्युक्त स्टाफ की उपस्थिति की निगरानी कार्यालय द्वारा की जाएगी। सामान्य स्थिति में, फर्म द्वारा तैनात की गई टीम में अत्यधिक आकस्मिकता को छोड़कर फेरबदल नहीं किया जाता है।

26. लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल कार्यकलापों की सांकेतिक सूची (विस्तार से) अनुबंध-घ में दी गई है। उपर्युक्त "कार्यक्षेत्र" में दर्शाए गए अनुसार सभी विभाग समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। फर्म सभी वैधानिक करों और उनके रिटर्न के निर्धारण में बैंक के कर्मचारियों की सहायता करेगी।

27. तिमाही की समाप्ति के बाद कार्यालय के कामकाज की समीक्षा करने और कर कानूनों/ढाँचे में बदलाव और बैंक पर इसके प्रभाव और किसी अन्य प्रासंगिक मामले पर चर्चा करने के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के

पश्चात समवर्ती लेखा परीक्षकों के साथ कार्यालय की प्रबंधन टीम/ विभागाध्यक्षों की एक बैठक आयोजित की जाएगी।

28. बैंक निम्नतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और ऐसा करने के लिए कोई कारण बताए बिना पूर्ण या आंशिक रूप से, किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

29. समवर्ती लेखापरीक्षकों के चयन की प्रक्रिया सीमित ई-निविदा के माध्यम से पूरी की जाएगी। सभी पात्र सीए फर्मों को ई-निविदा प्रक्रिया के लिए https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है।

30. कृपया ध्यान दें कि ई-निविदा प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के लिए, फर्म को एमएसटीसी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। कृपया निविदा की अनुसूची में दी गई समय-सीमा को नोट करें।

31. निविदा का भाग- I दिनांक 25 अगस्त 2025 को अपराह्न 04:00 बजे खोला जाएगा। निविदा का भाग- II बाद की तारीख में पात्र निविदाकारों के लिए खोला जाएगा। फर्मों को सूचित किया जाता है कि वे केवल बैंक द्वारा आपूर्ति किए गए फॉर्मों का उपयोग करें और किसी अन्य फॉर्म का उपयोग न करें। अपूर्ण निविदाएँ अस्वीकृत की जा सकती हैं। अपलोड किए गए निविदा फॉर्म को अंग्रेजी में भरना होगा। यदि कोई दस्तावेज गुम या अहस्ताक्षरित है, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक से अमान्य माना जा सकता है।

32. भाग II निविदा खोलने के बाद पारिश्रमिक या शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए कोई अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

33. इस नियुक्ति से उत्पन्न या किसी भी तरह से इससे जुड़े सभी विवाद राँची में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल झारखंड के न्यायालयों को ही उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा।

34. संविदा की पेशकश की स्वीकृति सफल बोलीदाता द्वारा इस प्रकार सूचित की जाएगी कि प्रस्ताव जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर बैंक द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। इस अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने और तदनुसार संवाद करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रस्ताव रद्द हो जाएगा।

35. सीए, संविदा अवधि के दौरान लागू कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली हानि, क्षति या दावों के विरुद्ध तथा कदाचार, चूक और लापरवाही के कारण सीए द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए रिज़र्व बैंक, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें अच्छा बनाए रखेगा।

36. सीए किसी अन्य फर्म को बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से को सबलेट, ट्रांसफर या असाइन नहीं करेगा।

37. यह सुनिश्चित करना सीए की जिम्मेदारी होगी कि इस अनुबंध की शर्तों के तहत दायित्वों का विधिवत पालन

किया जाए। यदि सीए अनुबंध के अनुसार अपने किसी भी दायित्व/ कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है या किसी भी सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों का उल्लंघन करता है, तो बैंक बिना कोई कारण बताए नियुक्ति समाप्त कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और सफल बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा। इसके अलावा, उपयुक्त और समान समकक्ष स्थानापन्न कर्मचारी के बिना तैनात कर्मचारियों में से किसी एक या अधिक की अनुपस्थिति पर प्रतिदिन ₹2,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

38. बैंक निविदा दस्तावेज में संशोधन करने या बोली प्रक्रिया में कोई भी शुद्धिपत्र जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोलीदाता आरबीआई के उपरोक्त कार्य करने के अधिकार पर आपत्ति नहीं करेगा।

39. सीए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढाँचे/ प्रणालियों/ उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा, जो इस समझौते से संबंधित संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान सीए के पास या उसकी जानकारी में आए और उसे हर समय पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा। सीए अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।

40. यह माना जाएगा कि फर्म ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस समझौते या इसके निष्पादन के संबंध में सभी सामग्री और जानकारी जो उसके अधिकार या ज्ञान में आई है या आएगी, चाहे वह गोपनीय या मालिकाना डेटा हो या नहीं, हर समय उसके द्वारा सख्त गोपनीयता में रखी जाएगी और वह इसका उपयोग अपने दायित्वों के निष्पादन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगी और इसे केवल उन कर्मचारियों को जारी करेगी जिन्हें यहाँ वर्णित दायित्वों के निष्पादन के उद्देश्य से ऐसी जानकारी की आवश्यकता है, किसी अन्य को नहीं।

41. सीए बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्र या अन्यत्र किसी भी कार्य का विवरण प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा, या प्रकट नहीं करेगा। सीए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण न करने के दायित्व पूरी तरह से पूर्ण हों। प्रकटीकरण न करने और गोपनीयता के संबंध में सीए के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या किसी भी कारण से समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

42. फर्म को ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम, पीपीएफ, ईएसआई, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य सभी लागू कानूनों का पालन करना होगा। इन कानूनों का पालन न करने के किसी भी दावे के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। फर्म को बैंक के सत्यापन के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों का विवरण (पासवर्ड और पहचान पत्र सहित) देना होगा। इसके अलावा, फर्म को सुरक्षा कारणों से बैंक परिसर में तैनात कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी करवाना होगा।

43. यदि लेखा परीक्षक फर्म दिवालियेपन का कोई कार्य करती है या दिवालिया घोषित की जाती है या एक निगमित कंपनी होने के नाते, उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाएगा, या स्वैच्छिक रूप से समापन के

लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा, या न्यायालय और आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के पर्यवेक्षण के अधीन, जैसा भी मामला हो, ऐसे दिवालियेपन या समापन के कार्यों में, बैंक की उचित संतुष्टि के लिए यह दर्शाया जाएगा कि फर्म नियुक्ति को पूरा करने और उसे पूरा करने में सक्षम है और यदि बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो इसके लिए सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है।

44. **समाप्ति खंड**: यदि किसी भी समय बैंक, फर्म द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक एक कैलेंडर माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। यदि फर्म सेवाएँ समाप्त करना चाहती है, तो उसे बैंक को एक कैलेंडर माह का नोटिस देना होगा।

45. **वाणिज्यिक शर्तें और मध्यस्थता द्वारा विवाद का निपटारा:** यदि किसी भी समय, इस समझौते की व्याख्या या इसमें निहित किसी भी बात या इससे उत्पन्न होने वाले या उक्त पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और दायित्वों के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद, मतभेद या प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और मध्यस्थ/ मध्यस्थों के पैनल के निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इसके अलावा, ऐसे विवाद, मतभेद या प्रश्न, यदि कोई हों, राँची में उत्पन्न हुए माने जाएंगे और केवल राँची की अदालतों को ही उनका निर्धारण करने का अधिकार होगा।

46. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:**

i. ठेकेदार/ एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर में अपने कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार/ एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति या स्थानीय शिकायत समिति, जो भी लागू हो, के समक्ष दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/ एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ii. ठेकेदार के किसी पीड़ित स्टाफ/ कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में कार्यरत किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।

iii. यदि घटना में ठेकेदार के स्टाफ/ कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करना होगा, उदाहरण के लिए, बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

iv. ठेकेदार अपने स्टाफ/ कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के

बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

I. बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश और इसमें पहले उल्लिखित विशेष शर्तें सफल बोलीदाता के साथ किए जाने वाले अंतिम अनुबंध का आधार होंगी।

II. निविदा स्वीकृति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता उसमें निर्दिष्ट तिथि से अनुबंध को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। सफल निविदाकर्ता झारखंड में लागू स्टाम्प कानूनों के अनुसार उक्त समझौते पर उचित और आवश्यक स्टाम्प शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। साझेदारी फर्मों के मामले में, किसी फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म के साझेदार द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

III. इसके पश्चात, बैंक और सफल बोलीदाता के बीच अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। यह पारस्परिक रूप से सहमति है कि मूल अनुबंध बैंक द्वारा अपने पास रखा जाएगा और अनुबंध की प्रमाणित प्रति सफल बोलीदाता द्वारा अपने पास रखी जाएगी।

IV. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में रिज़र्व बैंक और बोली लगाने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी समझौता नहीं होगी, चाहे ऐसा अनुबंध बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं।

मैंने/ हमने उपरोक्त नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और ये मुझे/ हमें स्वीकार्य हैं।

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर: ....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम (..)

(बड़े अक्षरों में):

फर्म का नाम: ....

अनुलग्नक- घ

13. बैंक की लेखा परीक्षा करने के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक (सीए) के लिए रूपरेखा

समवर्ती लेखापरीक्षकों (सीए) की फर्म निम्नलिखित कार्य करेगी—

1. बैंक की राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लेखा बहियों, रिकॉर्डों, रजिस्टरों, केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित आवधिक नियंत्रण रिटर्न और विवरणों आदि की समवर्ती लेखा परीक्षा।
2. सीए फर्म को नियुक्ति के समय मासिक लेखा परीक्षा जाँच रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्रों का एक सूचकांक प्रदान किया जाएगा। सीए फर्म अपनी रिपोर्ट में लेखापरीक्षा कवरेज के लिए प्रासंगिक न होने वाले सूचकांक के लेखापरीक्षा क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से इंगित करेगी। सीए फर्म समय-समय पर उन्हें सौंपे गए अतिरिक्त लेखापरीक्षा क्षेत्र/क्षेत्रों को भी सूचकांक में शामिल करेगी।
3. सीए निम्नलिखित प्राप्त करेंगे और उनसे परिचित होंगे:
   i. बैंक के राँची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए सभी लेखा परीक्षा क्षेत्रों के मद।
   ii. लेखा परीक्षा के उद्देश्य से संबंधित कार्यालय/ विभाग में उपलब्ध सामान्य प्रशासन मैनुअल, बैंकिंग विभाग मैनुअल और परिसर विभाग मैनुअल की अद्यतन प्रति।
   iii. मानव संसाधन प्रबंध विभाग, केंद्रीय कार्यालय (केंका) और अन्य केंद्रीय कार्यालय विभागों द्वारा जारी सभी प्रासंगिक मास्टर परिपत्रों की प्रतियाँ। लेखा परीक्षा फर्म बैंक के कार्यालय/ विभाग में केंका द्वारा जारी संबंधित मास्टर परिपत्र से संलग्न अनुलग्नकों में शामिल केंका परिपत्रों का संदर्भ बनाने की व्यवस्था भी करेगी।
   iv. बैंक की अद्यतन व्यय नियमावली और डीजीबीए केंद्रीय कार्यालय का परिपत्र जो सभी केंका विभागों/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को वार्षिक समापन की पूर्व संध्या पर प्रेषित किया जाता है।
4. सीए बैंक के संबंधित कार्यालय से परामर्श करके सहमत तिथियों/ दिनों पर वाउचरों/ रिकॉर्डों/ रजिस्टरों की लेखा परीक्षा करेंगे।
5. सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन होंगी और चयनित फर्म/ कंपनी निम्नलिखित को रिपोर्ट करना आवश्यक होगा :
   i. क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी से नीचे की रैंक के प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों में अतिरिक्त/ अनियमितता को क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी को।
   ii. क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी द्वारा अनियमित स्वीकृतियों को निरीक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को।
   iii. इंगित करें कि बैंक के अधिकारियों और क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की गई वित्तीय स्वीकृतियाँ/ वित्तीय शक्तियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमावली (समय-समय पर अद्यतन) के अनुसार हैं या नहीं।
6. चयनित फर्म/ कंपनी को पैरा 5 के खंड (i), (ii) और (iii) को निरीक्षण विभाग, केंका को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।
7. सभी वित्तीय लेन-देन, उनकी राशि कुछ भी हो, समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत आवृत किए जाएँगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. मौजूदा तथा पूर्व कर्मचारियों की अस्पताल में भर्ती बिल (प्रत्यक्ष निपटान/ प्रतिपूर्ति योजना), एमएएफ खाते के अंतर्गत निपटाए गए दावे, दंत चिकित्सा दावे, कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों द्वारा प्रस्तुत अन्य चिकित्सा बिल प्रतिपूर्तियाँ।

ii. मूल पेंशन, पेंशन का परिवर्तन, ग्रेच्युटी दावे (अनुकंपा ग्रेच्युटी सहित), अवकाश नकदीकरण दावे, गारंटी फंड दावे (जहाँ लागू हो), लेखा परीक्षा अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के दावे। सेवानिवृत्ति बकायों पर कर देयता की गणना और बैंक/ कर्मचारी का हिस्सा, आदि।

iii. कर्मचारियों की वेतन पुनर्निर्धारण तथा पूर्व कर्मचारियों की पेंशन पुनर्निर्धारण, जब भी वेतन-स्केल/ पेंशन संशोधन आदेश केंका द्वारा जारी किए जाते हैं।

iv. कर्मचारियों का वार्षिक वेतन वृद्धि/ पदोन्नति ग्रेड में वेतन पुनर्निर्धारण।

v. कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रतिपूर्ति दावे, जिसमें विदेशी यात्रा बिल, टीए/ एचए बिल, जेब खर्च, परिवहन शुल्क आदि शामिल हैं।

vi. कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत आवास ऋण आवेदन।

vii. किराया, कर, जल शुल्क आदि के सभी भुगतान।

viii. विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ सेवा प्रदाताओं को किए गए सभी भुगतान।

ix. स्टाफ सदस्यों से की गई कोई भी वसूली।

x. न्यूनतम मजदूरी घटकों जैसे ईएसआईसी, पीएफ, मूल मजदूरी आदि के संशोधन पर किए जाने वाले बकाया भुगतान/ वसूलियाँ।

xi. विजिटिंग ऑफिसर्स फ्लैट (वीओएफ), ट्रांजिट हॉलिडे होम (टीएचएच), हॉलिडे होम्स और अन्य वसूलियों का किराया संग्रह।

xii. विनियमित संस्थाओं पर प्रोत्साहन, दंड की गणना का भुगतान।

xiii. बैंक के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशों के अंतर्गत 100% लेखापरीक्षा जाँच के लिए सुझाए गए कोई अन्य दावे/ बिल, जो समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

8. सीए बैंक के लेखापरीक्षित कार्यालय में भुगतान किए गए बिलों की जाँच परिसर विभाग मैनुअल में दिये गए निर्देश के अनुसार ही करेंगे।

9. सभी (100%) वित्तीय लेन-देन, राशि की परवाह किए बिना, समवर्ती लेखा परीक्षा के अंतर्गत आवृत किए जाएँगे। जाँचे गए वाउचर बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित दिशानिर्देशों/ प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करेंगे–
   i. बैंक के व्यय नियमावली और नवीनतम केंद्रीय कार्यालय निर्देश।
   ii. राजस्व/ पूंजी (जड़ वस्तु खाता) व्यय के खाते का विवरण और शीर्ष।
   iii. प्रत्यायोजित शक्तियों के संदर्भ में स्वीकृति प्राधिकारी - कैडर अनुसार।
   iv. दिन के वाउचर की प्रविष्टि निर्धारित शुल्क खाता रजिस्टर में और/ या कंप्यूटर सिस्टम में, संबंधित/ पर्यवेक्षी अधिकारियों के सम्यक जाँच/ प्रमाणण और हस्ताक्षर के साथ।
   v. निर्धारित सामान्य खाता बही/ सहायक सामान्य खाते/ समर्थक अभिलेख/ निर्दिष्ट रजिस्टर और संबंधित/ पर्यवेक्षण अधिकारियों के हस्ताक्षर के तहत ठीक से बनाए और रखे गए हैं।
   vi. सीए ऊपर (i) से (v) में देखी गई कोई भी विचलन/ अनियमितता/ कमी को, जो बैंक के व्यय नियमावली/ बैंक के सामान्य प्रशासन मैनुअल/ केंद्रीय कार्यालय के निर्धारित निर्देशों/ दिशानिर्देशों से असंगत हो, विभाग के प्रभारी के ध्यान में लिखित रूप से लाएँगे और बिना किसी अनुचित विलंब के अनियमितता की तत्काल सुधार/ सुधार की व्यवस्था करेंगे।

10. उपरोक्त लेन-देन-आधारित वाउचर/ दावों/ बिलों आदि की 100% जाँच सख्ती से पूरी करने के अलावा, जो ऑडिट अवधि के दौरान बैंक के संबंधित विभाग में पैरा 6 (i) से (v) के अनुसार आवश्यक है, समवर्ती लेखा परीक्षक (सीए) निम्नलिखित की जाँच/ समीक्षा करेंगे :

   क. हाउसिंग लोन खाता दस्तावेजों, अन्य दस्तावेजों, समझौतों, चेक बुक्स और मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा का संरक्षण।

   ख. सस्पेंस खाता, संड्री डिपॉजिट खाता आदि की सही मासिक विवरण तैयार करना और समय पर डीजीबीए, केंद्रीय कार्यालय को भेजना। संवेदनशील खातों, जैसे कि बयाना सुरक्षा जमा राशि**,** देय ड्राफ्ट, समाशोधन खाते (क्लियरिंग हाउस बैलेंस खाता, समाशोधन गृह खाता, समाशोधन गृह शेष – एनईएफटी और समाशोधन गृह खाता- सीटीएस), सस्पेंस खाता, संड्री जमा खाता आदि में लंबे समय से लंबित और उच्च मूल्य की प्रविष्टियों की सूची, जो बैंक के निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि से अधिक समय तक लंबित हैं, को संलग्न किया जाएगा और रिपोर्ट में टिप्पणी की जाएगी।

   ग. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाता - कार्यालय में भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाता के तहत सभी लंबित प्रविष्टियों का अनुसरण और निर्धारित मैनुअल रजिस्टरों का रखरखाव देखा जाएगा। ₹1 लाख और उससे अधिक की लंबित भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य खाता प्रविष्टियों पर विशेष टिप्पणी की जाएगी।

   घ. प्रभार खाता की मासिक और त्रैमासिक अंतराल पर सामंजस्य, निगरानी और शेष राशि की शुद्धता को प्रमाणित करना। सीएसबीडी दिशानिर्देशों और स्वीकृत बजट आवंटन के अनुसार प्रभार खाता समीक्षा का सुझाव दिया गया है।

   ङ. व्यक्तिगत कर्मचारी ऋण और अग्रिम वसूली खाता पत्रकों की जीएल और एसजीएल खाता शेष के साथ मासिक संतुलन/ सामंजस्य। लंबित एसजीएल/ जीएल शेष और अन्य संबंधित दस्तावेजों/ रजिस्टरों के साथ सभी कर्मचारी ऋण/ अग्रिम खातों की अर्जित ब्याज शेष राशि का अर्ध-वार्षिक संतुलन।

च. कर्मचारी ऋण और अग्रिम खातों की बकाया शेष राशि पर वार्षिक ब्याज का अनुप्रयोग, कमीशन खाता, विनिमय खाता, डिस्काउंट खाता, बैंक की संपत्तियों की बिक्री या अन्यथा से लाभ के लेखांकन प्रविष्टियों को पारित करना। मूल्यह्रास और सभी अन्य प्रावधान खातों का और वार्षिक समापन खातों आदि को डीजीबीए, केंद्रीय कार्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से तैयार करना चाहिए।

छ. नाबार्ड कर्मचारियों के संबंध में रखे गए प्रोविडेंट फंड खातों की मासिक संतुलन की जाँच, पीएफ शेष पर अर्ध-वार्षिक ब्याज का अनुप्रयोग, पीएफ शेष से अग्रिम/ निकासी और पीएफ शेष की वापसी की जाँच।

ज. ऑडिटर द्वारा सत्यापित किए जाने वाले रजिस्टरों में संड्री रजिस्टर, प्रभार खाता रजिस्टर, बयाना जमा राशि/ सुरक्षा जमा राशि रजिस्टर, बैंक गारंटी रजिस्टर आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित आय और व्यय खातों, जड़ वस्तु खातों, ऋण खातों और अन्य खाता/जीएल शीर्षों में मासिक शेष की पुष्टि को प्रमाणित करना।

झ. कार्यालय द्वारा सुझाए गए केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित विवरण पत्र/नियंत्रण रिटर्न की ऑडिट जाँच।

ञ. बैंक के केंका विभाग/क्षेका/प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विशेष रूप से ऑडिट के लिए निर्दिष्ट कोई अन्य ऑडिट क्षेत्र, जिसमें वित्तीय प्रभाव हो।

ट. सीए यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक के लेखा परीक्षित केंका विभाग/ क्षेका/ प्रशिक्षण संस्थानों के आय खाते में ब्याज, विनिमय, कमीशन, डिस्काउंट आदि का कोई रिसाव नहीं हो और बैंक के कार्यालय में प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न योजनाओं और कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं पर केंद्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित परिपत्रों/ निर्देशों/ दिशानिर्देशों में कोई एकतरफा परिवर्तन नहीं किया जाता। बिना संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग की पूर्व स्वीकृति के किए गए किसी भी आय रिसाव/ विचलन को मासिक ऑडिट रिपोर्ट में उजागर किया जाएगा, जो संबंधित क्षेत्रीय निदेशक/ प्रभारी अधिकारी/ मुख्य महाप्रबंधक/ प्रधानाचार्य को तत्काल कार्रवाई/ सुधार के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

ठ. समवर्ती लेखा परीक्षक यह इंगित करेंगे कि क्या बैंक के अधिकारियों और क्षेत्रीय निदेशक द्वारा वित्तीय स्वीकृति/ वित्तीय शक्तियों का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक व्यय नियमावली (समय-समय पर अद्यतन) के अनुसार है।

11. सीए राँची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को मासिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और पिछली रिपोर्ट में या अन्यथा इंगित की गई ऑडिट अनियमितताओं की अनुपालन स्थिति पर टिप्पणियाँ शामिल करेंगे।

12. चयनित फर्म/ कंपनी को सलाह दी जाती है कि रिकॉर्ड की जाँच/ ऑडिट करते समय लाल रंग की पेंसिल का उपयोग करें और जाँचे गए/ ऑडिट किए गए रिकॉर्ड पर "जाँच/ ऑडिट किया गया" की रबर स्टैंप लगाएँ, जिसमें तारीख और प्रारंभिक हस्ताक्षर हों।

13. सीए को संपत्ति/संपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख (अर्थात् वह तारीख जिस पर संपत्ति/संपत्तियों का उपयोग शुरू होता है) की जाँच करनी होगी और इस संबंध में त्रैमासिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

14. स्रोत पर कर कटौती और विभागों द्वारा टीडीएस/ जीएसटी रिटर्न की समय पर फाइलिंग। उचित करों, लागू कर दरों, कर की गणना की गई राशि, भुगतान से पहले संबंधित प्राधिकारियों को कर के उचित क्रेडिट की 100% जाँच और रिटर्न दाखिल करने से पहले 100% सत्यापन।

15. सीए को जीएसटी दरों/ नियमों/ कानूनों में परिवर्तन, न्यूनतम मजदूरी (आधार दर, ईएसआईसी, पीएफ आदि) में परिवर्तन, जैसा कि संबंधित सरकारी विभागों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, के बारे में कार्यालय को सूचित करना चाहिए ताकि कार्यालय परिवर्तनों को तत्काल लागू कर सके।

16. सीए यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची द्वारा संबंधित क़ानूनों/ नियमों/ अधिनियमों में निर्धारित वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का 100% अनुपालन हो और इस संबंध में बैंक को मासिक वैधानिक और नियामक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

17. सीए को जब भी आवश्यक हो, कराधान मामलों पर अपनी राय देनी होगी और प्रक्रिया का सुझाव देना होगा।

18. **अन्य:**

क. क्या संड्री डिपॉजिट/ सस्पेंस/ बयाना जमा खाता रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में रखे गए हैं।
ख. बैंक की संपत्ति के बीमा की जाँच।
ग. आवक बिल रजिस्टर, लंबित बिल रजिस्टर, सम्पत्ती रजिस्टर, वस्तुसूची रजिस्टर, कोटेशन रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर की जाँच।
घ. विभागों द्वारा जड़ वस्तु मदों के पूंजीकरण लेन-देन का सत्यापन। परियोजना का पूंजीकरण, डेड स्टॉक का पूंजीकरण आदि, बैंक के निर्देशों के अनुसार डेड स्टॉक का सामंजस्य।
ङ. मूल्यह्रास और केंद्रीय कार्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लेखों का वस्तुसूची प्रबंधन।
च. प्रमुख परियोजनाएँ।
छ. वस्तुसूची।
ज. वार्षिक रख-रखाव अनुबंध।
झ. बजटीय आवंटन के मुकाबले व्यय की समय-समय पर सत्यापन और निगरानी।
ञ. अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक खातों के समापन के समय किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता की जाँच।
ट. सीबीएस में सभी प्रविष्टियों/ लेन-देन की दैनिक जाँच।

19. राँची क्षेत्रीय कार्यालय/ केंद्रीय कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य ऑडिट क्षेत्र, जिसमें वित्तीय प्रभाव हो, का समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाएगा।

उपरोक्त बिंदु केवल सुझावात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं। उपरोक्त बिंदुओं को आवृत करने वाली विभाग-वार विस्तृत जाँचसूची, सीए के रूप में नियुक्ति के बाद सीए फर्म को प्रदान की जाएगी।

नोट: उपरोक्त किसी भी बिंदु में परिवर्तन/ संयोजन/ व्यवकलन को बैंक द्वारा लिखित रूप में फर्म को सूचित किया जाएगा, जिसे फर्म पारिश्रमिक में बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करेगी।

8. पात्रता मानदंड निर्धारित करने और तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के लिए अपलोड किए जाने वाले प्रमाणित दस्तावेज

क्र. सं.	विवरण	प्रमाणित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए
1.	श्रेणी । चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) फर्म होने का प्रमाण	आईसीएआई प्रमाणपत्र*
2.	पैन पंजीकरण का साक्ष्य	पैन कार्ड की प्रति
3.	जीएसटी पंजीकरण का साक्ष्य	जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि
4.	बोलीदाता कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी या एलएलपी अधिनियम के तहत पंजीकृत एलएलपी या साझेदारी फर्म या स्वामित्व फर्म होना चाहिए	मेमोरेंडम और एसोसिएशन के लेख/ निगमन प्रमाणपत्र/ साझेदारी विलेख/इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतिलिपि
5.	साझेदारों का विवरण	i साझेदारी विलेख और/ या इसी प्रकार का कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ ii आईसीएआई फ़र्म कार्ड*
6.	फर्म का अनुभव – वर्षों की संख्या	आईसीएआई फ़र्म कार्ड*
7.	पूर्णकालिक सहकर्मी चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफसीए) साझीदार	आईसीएआई फ़र्म कार्ड* एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख/ निगमन प्रमाणपत्र/ साझेदारी विलेख/ इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतिलिपि।
8.	उसी फर्म के साथ जुड़ाव - भागीदारों की संख्या	आईसीएआई फ़र्म कार्ड* एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख/ निगमन प्रमाणपत्र/ साझेदारी विलेख/इसी तरह के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतिलिपि।
9.	संख्या वर्तमान में तैनात पूर्णकालिक सीए कर्मचारियों की– प्रमुख पेशेवर स्टाफ़	i) सदस्यता संख्या एवं संबंधित आईसीएआई प्रमाणपत्र। ii) नियुक्ति पत्र
10.	कुशल कर्मचारियों की संख्या - आईपीसीसी की धारा ।। के लिए पात्र	i.ग्रुप ।। आईपीसीसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में आईसीएआई द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र/अंक पत्र और ii फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र

11.	बैंक लेखापरीक्षा में फर्म के अनुभव का विवरण: i) सिस्टम/आईएस लेखा परीक्षक के रूप में ii) समवर्ती लेखा परीक्षक/सांविधिक केंद्रीय/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में	अनुभव पत्र वर्षवार अपलोड किए जाने चाहिए। अनुभव के लिए, केवल वर्षों की संख्या ही मान्य होगी, संस्थानों की संख्या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष वर्ष में फर्म ने तीन बैंकों में ऑडिट किया है, तो अनुभव के वर्षों की संख्या केवल एक मानी जाएगी, तीन नहीं।
12.	समवर्ती लेखा परीक्षक/ सांविधिक केंद्रीय/ शाखा लेखा परीक्षक के रूप में आरबीआई लेखा परीक्षा* और आरबीआई द्वारा निष्पादन मूल्यांकन में अनुभव का विवरण	आरबीआई ऑडिट के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक नियुक्ति पत्र और निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट।
13.	ग्रुप I-आईपीसीसी में अर्हता प्राप्त अर्ध-कुशल कर्मचारियों की संख्या	फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र ग्रुप I आईपीसीसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के समर्थन में आईसीएआई द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
14.	अन्य सहायकों की संख्या	फर्म द्वारा जारी नियुक्ति पत्र
बैंक उपर्युक्त मापदंडों के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है।		

*आईसीएआई फर्म कार्ड और आईसीएआई प्रमाणपत्र 01 जुलाई 2025 और बोली जमा करने की अंतिम तिथि के बीच तैयार किया जाएगा।

15. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर, जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदा गया)

स्थान: तिथि:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
जिला परिषद भवन, पहली मंजिल
कचहरी चौक, राँची
झारखंड- 834001

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची के लिए 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक वर्ष 2025-26 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुबंध

संदर्भ: एनआईटी/विज्ञापन संख्या: तिथि:

जबकि
भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई में स्थित है, ने भारतीय रिज़र्व बैंक, जिला परिषद भवन, पहली मंजिल, कचहरी चौक, राँची, झारखंड- 834001 (इसके बाद "भारतीय रिज़र्व बैंक" कहा जाएगा) के माध्यम से उक्त कार्य के लिए अनुबंध (इसके बाद "अनुबंध" कहा जाएगा) मेसर्स... (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती शामिल होंगे) को प्रदान किया है।

और जबकि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत शर्तों और नियमों के सम्यक पूर्ति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, राँची को अनुबंध मूल्य का 5% कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में कुल राशि ₹... (₹-------------- मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) जमा करने के लिए बाध्य है। हम, ... (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाएगा), मेसर्स (ठेकेदार) के अनुरोध पर, भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुबंध की शर्तों और नियमों की सम्यक पूर्ति के लिए निष्पादन गारंटी के रूप में ₹................... (₹-------------- मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) से अनधिक राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी साक्षी है

1. हम..................... (बैंक का नाम) भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशितों से सहमत हैं और वचन देते हैं कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने उक्त अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हमारे साथ-साथ उक्त ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा; तो हम, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग पर, बिना किसी विरोध के, ₹........................... (रुपये केवल) (राशि अंकों और शब्दों में) की राशि या भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वारा मांगी गई किसी कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों की सम्यक पूर्ति के लिए कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी राशि के समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के विरुद्ध हमारी देयता ₹.................. (₹-------------- मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) से अनधिक हो।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त ₹.................. (₹-------------- मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) से अनधिक राशि को हम भारतीय रिज़र्व बैंक से केवल एक लिखित सूचना प्राप्त होने पर कि राशि उन पर देय है, तुरंत बिना किसी विरोध के भुगतान करेंगे, और हम कोई आगे प्रमाण या साक्ष्य नहीं मांगेंगे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त सूचना हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगी तथा हम इसे किसी भी रूप या तरीके से प्रश्नगत नहीं करेंगे। हम ठेकेदार द्वारा किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक को मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करेंगे तथा इस गारंटी के तहत हमारी देयता पूर्ण और असंदिग्ध होगी। हम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त सूचना पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दावा की गई राशि का तुरंत भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति हमारा दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक और ठेकेदार के बीच किसी अन्य समझौते या समझौतों से स्वतंत्र होगा।

4. इस गारंटी को हम भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं करेंगे।

5. यह मांग या अन्य किसी भी प्रकार की कोई सूचना विशेष कूरियर, मेल, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे उपर्युक्त स्थानीय पते पर भेजी जा सकती है और यदि डाक द्वारा भेजी जाती है, तो इसे तब दिया हुआ माना जाएगा जब इसे डाक में डाला गया हो।

हम यहाँ आगे सहमत हैं कि –

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अनुबंध की शर्तों को लागू करने में कोई नरमी दिखाना या उक्त अनुबंध में निर्धारित किसी भी शर्तों और नियमों के अनुपालन के लिए ठेकेदार को कोई समय प्रदान करना या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ठेकेदार को कोई अनुग्रह दिखाना या उससे जुड़ी कोई अन्य बातें हमें किसी भी तरीके से दायित्व से मुक्त नहीं करेंगी तथा इस गारंटी के तहत हमारा दायित्व बना रहेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा उनके दायित्वों की पूर्ति से और उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹.............. (₹-------------- मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) से अनधिक राशि के भुगतान से मुक्त होगी। इन वर्तमानों के तहत हमारी देयता ₹................. (₹-------------- मात्र) (राशि अंकों और शब्दों में) से अधिक नहीं होगी।

ख. इन वर्तमानों के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी कमजोरी या अनियमितता से या उनके दायित्वों से या हमारे उक्त घटकों की संरचना में विघटन या परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी ।

ग. यह गारंटी .... तक (अनुबंध अवधि की समाप्ति के साठ दिन बाद तक) प्रभावी रहेगी, बशर्ते कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक चाहे तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताई गई अवधि के लिए यहां दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

घ. इसमें निहित गारंटी को पूर्ण प्रभावी करने के लिए, आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे मानो कि हम पूर्वोक्त रूप से हमारे द्वारा गारंटीकृत ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार हों और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से और किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत ज़मानत के अपने सभी अधिकारों और अन्य अधिकारों, यदि कोई हो, को छोड़ते हैं।

ङ. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को आपके द्वारा आवश्यक समझे गए समय तक बढ़ाने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

च. इन गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता इन गारंटियों का नवीनीकरण ऊपर दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि को न करने पर अथवा ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों का पालन किए जाने पर (जो भी तारीख बाद में हो), जिसके लिए केवल आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाणपत्र ही निर्णायक प्रमाण है, समाप्त हो जाएगी। जब तक हमारे विरुद्ध --------------------- के मध्य अथवा किसी विस्तारित अवधि के भीतर कोई दावा, वाद या कार्रवाई दायर नहीं की जाती, इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएँगे और हमें इसके अंतर्गत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

साक्षी में, --------------------बैंक के विधिवत अधिकृत मैं/ हम ने इस गारंटी पर .... दिन .... (माह) .... (वर्ष) को हस्ताक्षर किए हैं और मुहर लगाई है।

के लिए और की ओर से (बैंक का नाम)

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर
नाम:
पदनाम:
बैंक की स्टांप/मुहर

उपर्युक्त नामित द्वारा बैंक की ओर से और उसके लिए हस्ताक्षरित, मुहर लगाई और वितरित किया गया:

साक्षी 1
हस्ताक्षर:
नाम:
पता:

साक्षी 2
हस्ताक्षर:
नाम:
पता:

(नोट: इस बैंक गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टांप ड्यूटी की आवश्यकता होगी जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है तथा इसे उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार की जाँच की जाएगी)।